

तारीख  
हुकम

11/7/25

पहुलाय पक्षकारान उपाधिकेन। साक्ष्य  
प्राप्त २ मे कोड गवाह उपस्थित  
नहीं है। अधिवक्ता प्रतिकादी ने उपाह  
लेने वाले हेतु उपस्थित नहीं जावे का  
जोखेका किया। सुन ०१०१ प्रमाण  
शरकेर सं ०५ है। अधिवक्ता प्रतिकादी  
के साक्ष्य प्रमाण होने हेतु पर्याप्त उपस्थित  
दिये जा चुके हैं, अतः अदालत उपस्थित किया  
जाना आवश्यक नहीं। अतः साक्ष्य  
प्रतिकादी सं २ बंद धनी जाने है। प्रांत  
सं २ धनी अदालत कोर्ट काही अदालत  
नहीं की है। प्रमाण अदालत कोर्ट  
काही के अदालत कोर्ट सं ०८/०७/२५  
के प्रमाण है।  
जिला न्यायाधीश  
बुन्दी (राज.)

5/7/2025 यह पत्रावली जिला न्यायालय में अदालत में...  
दिनांक... 5/7/2025 से न्यायालय में...  
... में अंतरित की गई है। उक्त  
पत्रावली दिनांक... 5/7/2025 से पूर्व उक्त  
न्यायालय में भिजवायी जावे। पक्षकारान को साक्ष्य  
किया गया।

जिला न्यायाधीश  
बुन्दी (राज.)

07/07/2025

पत्रावली सीमान जिला न्यायाधीश महोदय  
बुन्दी के पास है अंतरित लेकर प्राप्त हुआ है।  
समिस्तर लेकर फिर दिनांक 08/07/2025 को  
...  
जिला न्यायाधीश  
बुन्दी (राज.)